रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032020-216534
CG-DL-E-04032020-216534

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 839] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2020/फाल्गुन 12, 1941
No. 839] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2020/PHALGUNA 12, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

का.आ. 933(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **2875 (अ)** तारीख **08.08.2019** जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH930 के कि.मी. 00.000 से कि.मी.18.500 (वरोरा सुब डिविशनल ऑफिस वरोरा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"15.09.2019"** को **"नवभारत (हिन्दी)"** और **"लोकमत (इंग्लिश)"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए है, ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या **NH930** वरोरा-वणी के कि.मी. **00.000** से कि.मी.**18.500** तक **(**वरोरा सुब डिविशनल ऑफिस वरोरा **)** के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		**जिले का नाम: चंद्रपुर**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भद्रावती				
	गांव का नाम: नंदोरी				
1	228	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.092	श्री नामदेव लटारी एकरे. (२८८)
	गांव का नाम: रालेगांव (टोला)				
2	16/1/A	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.01	श्रीमती रूपा गणेश निमजे, सुरेश संभाजी निमजे. (16/1/अ)
3	16/1/B	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.06	श्रीमती रूपा गणेश निमजे, सुरेश संभाजी निमजे. (16/1/बी)
4	16/3	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.03	श्रीमती अनिता अशोक कुमार गुप्ता. (16/३)
5	17	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.02	श्री बंडु आत्माराम आगलावे (१७)

	तालुक का नाम: वरोरा				
	गांव का नाम: शेम्बल				
1	285	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.03	श्री विलास भाउराव टीपले. (२८५)
			कुल	**0.242**	

[फा. सं. NH-12037/84/2018-MAH-1/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2020

S.O. 933(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O. 2875 (E) dated 08.08.2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH930 on the stretch of land from Km 0.000 to Km 18.500 (Sub Divisional Office Warora) in the district of CHANDRAPUR in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in "Navbharat (Hindi)" and "Lokmat (English)" both dated 15.09.2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the competent authority

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.00.000 to Km.18.500 Warora-Wani section of NH-930 in the (Sub Divisional Office Warora) in the district of CHANDRAPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		**District: CHANDRAPUR**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhadravati				
	Viilage: Nandori				
1	228	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.092	Shri Namdev Latari Yekare. 288

	Viilage: Ralegaon (Tola)				
2	16/1/A	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.01	Smt. Rupa Ganesh Nimaje, Suresh Sambhaji Nimaje. 16/1/A
3	16/1/B	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.06	Smt. Rupa Ganesh Nimaje, Suresh Sambhaji Nimaje. 16/1/B
4	16/3	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.03	Smt. Anita Ashok Kumar Gupta. 16/3
5	17	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.02	Shri Bandu Atmaram Aglave. 17
	Taluk: Warora				
	Viilage: Shembal				
1	285	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.03	Shri Vilas Bhaurao Tipale 285
			TOTAL	**0.242**	

[F. No. NH-12037/84/2018-MAH-1/3D]

RAJESH GUPTA, Dy.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.04 21:27:33 +05'30'